तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 465/2022 राजूराम वगै बनाम नरसा आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2023	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी पक्ष उपस्थित। अवलोकन किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही की गई है। बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम खीयेरा के खसरा नम्बर 435/55 मे तादादी 5.0600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 व खसरा नम्बर 436/55 मे तादादी 7.5900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 ता 3 के नाम से संयुक्त खातेदारी बहिब स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा एवं दखल निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि राजस्व नक्शा मे तरमीमशुदा है तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा एवं दखल चला आ रहा है। प्रार्थी ने उपनी उपरोक्त खोतदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर से विधिवत आदेश लेकर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.06.2022 को ग्राम के मौजिज व्यक्तियो एवं खेत पडौसीया की उपस्थिति मे पुख्ता चिन्ह कुआं को आधार मानकर जरीब चला कर सीमाकंन करवाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा चिन्हीत कर सीमा चिन्ह कायम किये गए। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि मौजा रोही खीयेरा के खसरा नम्बर 435/55 तादादी 5.0600 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 436/55 मे तादादी 7.5900 हैक्टेयर भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है जबकि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाने का सवैधानिक अधिकार है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान के समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा कायम कर कच्चे चिन्ह लगवाये थे लेकिन अप्रार्थीगण उक्त सीमा चिन्ह पर पुख्ता चिन्ह(पत्थरगढी) नहीं करने दे रहे है जिसका कतई अधिकार अप्रार्थीगणों को नही है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से उत्तर व दक्षिण दिशा मे अलग खसरा नम्बर 51,58,57 मे स्थित है। अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि प्रार्थीगण के खेत से दक्षिण दिशा मे रास्ता को छोड़कर खसरा नम्बर 58 मे है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 57 मे व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि प्रार्थीगण की भूमि से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 51 मे स्थित है जो सींव जोड़ काश्तकार है। जिसका बैजा फायदा उछाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है । अतः जरिये वकील निवेदन किया गया की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगडी कराने का आदेश तहसीलदार लूनकरनसर को किया जावे। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश दिनांक 31.05.2022 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 08.06.2022 को ग्राम खीयेरा के खसरा नम्बर 436/55, 435/55 की भूमि का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंच ग्राम खीयेरा के खसरा नम्बर 181 मे स्थित कुआ को आधार बिन्दू मानकर सीमाचिहन दिये गये जिसके अध्ययन मे किसी प्रकार की विपरीत रिपोर्ट प्रतीत नहीं होती हैं। जमाबन्दी खसरा नम्बर 435/55 तादादी 5.0600 हैक्टेयर संवत् 2077–2080 पटवार क्षेत्र खीयेरा एवं खसरा नम्बर 436/55 तादादी 7.5900 हैक्टेयर संवत 2077–80 संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रोही खीयेरा के खसरा नम्बर 435/55 तादादी 5.0600 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 436/55 तादादी 7.5900 हैक्टेयर पटवार क्षेत्र खीयेरा उक्त भूमि के सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	